उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-130/2016/2237/41-2016-72 यो0/16

लखनऊ दिनांक 23 दिसम्बर, 2016

शासनादेश संख्या-129/2016/1368/41-2016-72 यो0/2016

का शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद ललितपुर के देवगढ में श्री शान्तिनाथ जैन मंदिर के सुदृढीकरण हेतु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू0 1,08,34,000.00 (रूपये एक करोड आठ लाख चौंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 58,19,000.00 (रू0 अट्ठावन लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-129/2016/1368/41-2016-72यो0/2016, दिनांक 21.12.2016 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के स्थान पर त्रुटिवश लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य अंकित हो गया है।

3- अत: उपर्युक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि प्रस्तर-3 में अंकित लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के स्थान पर लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य पढा जाय। उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-130/2016/2237(2)/41-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महानिदेशक, पर्यटन,उ0प्र0, लखनऊ।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त झांसी/जिलाधिकारी, ललितपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, ललितपुर।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 निर्माण इकाई-13 बॉदा।
9- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, चित्रकूट।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in